Helpline 1064 94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- **न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी, जिला टोंक का वरिष्ठ सहायक (रीडर) 12 हजार रूपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार**
- **आवास एवं अन्य ठिकानों पर तलाशी जारी**

जयपुर, *23 सितम्बर,* शुक्रवार / ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर टोंक इकाई द्वारा आज कार्यवाही करते हुये लक्ष्मीनारायण वरिष्ठ सहायक (रीडर) न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी, जिला टोंक को परिवादी से **12 हजार रूपये** की रिश्वत लेते हुये रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक श्री भगवान लाल सोनी ने बताया कि ए.सी.बी. की टोंक इकाई को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि पैतृक सम्पत्ति के संबंध में चल रहे वाद में मदद करने की एवज में लक्ष्मीनारायण वरिष्ठ सहायक (रीडर) न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी, जिला टोंक द्वारा 15 **हजार रूपये** की रिश्वत राशि मांगकर परेशान किया जा रहा है।

जिस पर एसीबी, जयपुर के **उप महानिरीक्षक श्री सवाई सिंह गोदारा** के सुपरवीजन में एसीबी टोंक इकाई के **अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री राजेश आर्य** के निर्देशन में शिकायत का सत्यापन किया जाकर आज उनकी टीम द्वारा ट्रेप कार्यवाही करते हुये लक्ष्मीनारायण पुत्र श्री लालचंद रैगर निवासी मकान नं0 15, चन्द्रलोक होटल के पास, टोंक हाल वरिष्ठ सहायक (रीडर) न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी, जिला टोंक को परिवादी से **12 हजार रूपये** की रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है।

एसीबी के अतिरिक्त महानिदेशक श्री दिनेश एम.एन. के निर्देशन में आरोपी के निवास, अन्य ठिकानों की तलाशी एवं पूछताछ जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।

एसीबी महानिदेशक, श्री भगवान लाल सोनी ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की ***टोल–फ्री हैल्पलाईन नं.*** 1064 *एवं* ***Whatsapp हैल्पलाईन नं.*** **94135–02834** पर 24X7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरूद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। **एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी मदद करेगी।** विदित रहे कि एसीबी राजस्थान राज्य में राज्य कर्मियों के साथ–साथ केन्द्र सरकार के कार्मिकों के विरूद्ध भी कार्यवाही करने को अधिकृत है।